

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पैंतालीस'

[7/3/2018]

प्रश्न सं. [क. 720 <sup>आका 436 कू 720</sup> परिशिष्ट

भाग 1]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2017

5271

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2017

आदेश

क्र. एफ-01-03-2014-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा बी-13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडरवारा की सीमाएँ उसमें से राजस्व निरीक्षक मण्डल साईंखेड़ा के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 19 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल देवरी के पटवारी हल्का क्रमांक 20 से 38 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल गाडरवारा के पटवारी हल्का नं. 96,97,101 तथा 103 से 114 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील साईंखेड़ा के राजस्व निरीक्षक मण्डल गाडरवारा के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 19 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल देवरी के पटवारी हल्का क्रमांक 20 से 38 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल गाडरवारा के पटवारी हल्का नं. 96,97,101 तथा 103 से 114 को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील साईंखेड़ा का सृजन करती है, जिसमें कुल 53 पटवारी हल्के और 89 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय साईंखेड़ा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भारती ओगरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2017

क्र. एफ-1-3-2014-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-3-2014-सात-6, दिनांक 19 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भारती ओगरे, उपसचिव.

Bhopal, the 19<sup>th</sup> September 2017

ORDER

No. F.-1-3-2014-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tehsil Gadawara of District Narsinghpur from the date of Publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 19 of Revenue Circle Saikheda, Patwari Halka No. 20 to 38 of Revenue Circle Deori and Patwari Halka No. 96,97,101, 103 to 114 of Revenue Circle Gadawara and creates a new Tehsil Saikheda by comprising of Patwari Halka No. 01 to 19 of Revenue Circle Saikheda and Patwari Halka No. 20 to 38 of Revenue Circle Deori and Patwari Halka No. 96, 97, 101 and 103 to 114 of Revenue Circle Gadawara, which shall be comprised of 53 Patwari Halka and 89 villages. The headquarter of the said Tehsil shall be at Saikheda.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
BHARTI OGREY, Dy. Secy.

